REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022025-260673 CG-DL-E-01022025-260673

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] No. 83]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2025/ माघ 10, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2025/ MAGHA 10, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2025

फा.सं. 11–1/2024–आई.एन.सी.(**XIII**):–यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 10, 11 तथा 15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की अनुसूची भाग–2 के परिशिष्ट की अधिसूचना जारी करती है।

अनुसूची भाग–2 मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षाएं

[भाग III—खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

3

क्र.सं	अर्हता जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम	अर्हताएं
248	यूनाइटेड यूनिवर्सिटी,	बी.एससी. नर्सिंग
	रावतपुर, झालवा, प्रयागराज—211012, उत्तर प्रदेश	(1 मार्च, 2024 को या उसके बाद प्रदत्त होने पर)

डॉ. टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./940/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2025

F.No. 11-1/2024-INC (XIII)—In exercise of the powers conferred by Section 10, 11 and 15 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947) as amended from time to time, the Indian Nursing Council hereby notifies the Addendum to Part II of The Schedule to the INC Act, 1947.

The Schedule Part II Recognized Higher Qualifications Addendum

[भाग III—खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

5

S.No.	Name of the Authority issuing the Qualification(s)	Qualification(s)
		B.Sc. Nursing (when granted on or after the 01 st March, 2024)

Dr. T. Dileep Kumar, President [ADVT.-III/4/Exty./940/2024-25]